

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-541

दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंध

***541. एडवोकेट चन्द्र शेखर:**

श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2021 में एक अधिसूचना के माध्यम से देश भर के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर लगाने के संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के किन उपबंधों के तहत उक्त अधिसूचना जारी की गई थी;

(ख) क्या उक्त अधिनियम की धारा 47(5) के तहत उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर चुनने का विकल्प प्रदान किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपभोक्ताओं की सहमति के बिना प्रीपेड मोड को अनिवार्य बनाना उक्त अधिनियम के मूल उद्देश्य के विपरीत है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उन उपभोक्ताओं के लिए पोस्टपेड का विकल्प खुला रखने का विचार है तो प्रीपेड विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं या इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंध” के संबंध में दिनांक 02.04.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 541 के उत्तर के भाग (क) से (ड) में संदर्भित विवरण।

(क) से (ड): (i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 47(5) में प्रावधान है कि उपभोक्ता के अनुरोध पर वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता को प्री-पेमेंट मीटर उपलब्ध कराएगा और इसके लिए किसी सुरक्षा राशि की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) इसके अतिरिक्त, सरकार ने विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 जारी किए हैं, जिनमें यह अनिवार्य किया गया है कि नए कनेक्शन केवल स्मार्ट प्री-पेमेंट मीटर या प्री-पेमेंट मीटर के साथ ही प्रदान किए जाएंगे तथा स्मार्ट मीटर या प्री-पेमेंट मीटर संबंधी किसी भी अपवाद को राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

(iii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विनियम, 2022 यथा संशोधित, के अनुसार संचार नेटवर्क वाले क्षेत्रों में सभी उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर संबंधित भारतीय मानकों (आईएस) के अनुरूप स्मार्ट मीटरों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जाएगी। यह भी प्रावधान है कि सभी एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में प्री-पेमेंट सुविधा शामिल होगी तथा वे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अंतर-प्रचालनात्मक होंगे।

(iv) भारत सरकार ने जुलाई 2021 में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। आरडीएसएस के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों में उपभोक्ताओं, वितरण ट्रांसफॉर्मरों (डीटी) और फीडरों के लिए स्मार्ट मीटरों की संस्थापना शामिल है। यह परिकल्पना की गई है कि संस्थापित स्मार्ट मीटरों में प्री-पेमेंट सुविधा होनी चाहिए और सरकार का दृष्टिकोण इन मीटरों से मिलने वाले लाभों के आधार पर उपभोक्ताओं को प्री-पेड स्मार्ट मीटर अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना है।

(v) परंपरागत रूप से संस्थापित स्मार्ट मीटरों के लिए पोस्ट-पेड सेवा डिफॉल्ट मोड में रही है। हालांकि, उपभोक्ताओं एवं वितरण यूटिलिटी को मिलने वाले लाभों को देखते हुए संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) तथा राज्य स्कीमों के अंतर्गत स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए गए हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर प्रीपेड मोड में 19.79 करोड़ उपभोक्ता मीटर, 52.53 लाख वितरण ट्रांसफॉर्मर (डीटी) तथा 2.05 लाख फीडरों को कवर करने वाले स्मार्ट मीटरिंग कार्य स्वीकृत किए गए हैं तथा 4.69 करोड़ स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य स्कीमों सहित अन्य स्कीमों के अंतर्गत भी स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। देशभर में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कुल 6.13 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 2.25 करोड़ प्रीपेड मोड में चल रहे हैं।

(vi) उपभोक्ताओं के लिए निम्नलिखित लाभों की परिकल्पना की गई है:

- i. छोटे रिचार्ज के साथ रिचार्ज की सुविधा
- ii. जीरो बैलेंस होने पर कनेक्शन कटने से बचने के लिए मीटर में आपातकालीन क्रेडिट
- iii. खपत की निगरानी
- iv. त्रुटिरहित बिलिंग

उपभोक्ताओं के अतिरिक्त, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग से वितरण यूटिलिटी की बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में सुधार होता है, साथ ही स्वचालित ऊर्जा लेखांकन, बेहतर लोड पूर्वानुमान, मांग-पक्ष प्रबंधन हेतु डेटा विश्लेषण का उपयोग तथा ऊर्जा पारगमन के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। वितरण यूटिलिटी को प्राप्त होने वाले लाभ अंततः बेहतर सेवाओं एवं कम लागत के रूप में उपभोक्ताओं तक पहुँचते हैं।

(vii) प्रारंभ में, स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के क्रियान्वयन में स्मार्ट मीटर के लाभों के संबंध में उपभोक्ताओं की अपर्याप्त जागरूकता के कारण कुछ चुनौतियाँ थीं। उपभोक्ता सहभागिता बढ़ाने एवं विश्वास सुदृढ़ करने के लिए इस मंत्रालय ने विभिन्न परामर्शिकाएं/मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) जारी की हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सरकारी प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं में प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की संस्थापना को प्राथमिकता तथा लाभों के प्रदर्शन के आधार पर बाद में अन्य उपभोक्ताओं तक विस्तार।
- बिल में छूट के माध्यम से प्रीपेड मीटर स्थापना के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन;
- स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर कोई शास्ति नहीं;
- पिछले बकाया की आसान किस्तों में वसूली की व्यवस्था;
- स्मार्ट मीटर की सटीकता पर विश्वास बढ़ाने हेतु चेक मीटर की स्थापना;
- बिजली खपत की नियमित निगरानी एवं आसान रिचार्ज के लिए स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप की उपलब्धता;
- उपभोक्ताओं को शेष राशि एवं आपातकालीन क्रेडिट के लिए अग्रिम अलर्ट।

इस स्कीम की समापन तिथि 31 मार्च, 2028 है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-6218
दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

गैर-पारंपरिक स्रोतों से विद्युत उत्पादन

6218. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य-वार ऐसा कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की क्षमता का पता लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : पिछले पाँच वित्त वर्षों तथा वर्तमान वित्त वर्ष (फरवरी 2026 तक) के दौरान देश में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (अर्थात् पवन, सौर, बायोमास, खोई, लघु जल विद्युत एवं अन्य-अपशिष्ट से ऊर्जा आदि) से महाराष्ट्र राज्य सहित राज्यवार विद्युत उत्पादन, का विवरण अनुबंध-1 पर दिया गया है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तैयार राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार वर्ष 2031-32 तक 'स्थापित उत्पादन क्षमता' लगभग 8,73,736 मेगावाट होने का अनुमान है, जिसमें लगभग 5,07,411 मेगावाट क्षमता गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों अर्थात् 3,64,566 मेगावाट सौर, 1,21,895 मेगावाट पवन, 15,500 मेगावाट बायोमास तथा 5,450 मेगावाट लघु जल विद्युत से होगी। वर्तमान में, कुल 524 गीगावाट स्थापित उत्पादन क्षमता में से लगभग 215.5 गीगावाट क्षमता गैर-पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त हो रही है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार देश में विद्युत संयंत्र की स्थापना एक गैर-लाइसेंसिकृत गतिविधि है। कोई भी उत्पादन कंपनी, यदि वह ग्रिड से कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती है, तो वह बिना किसी लाइसेंस के विद्युत उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन एवं रखरखाव कर सकती है।

भारत सरकार ने विशेष रूप से देश में गैर-पारंपरिक ऊर्जा क्षमता का उपयोग करने के लिए विभिन्न उपायों और पहलों को भी लागू किया है। इनमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम- कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल्स पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्थान अभियान (डीए जेजीयूए) के

तहत (आदिवासी और पीवीटीजी बस्तियों/गाँवों के लिए नई सौर ऊर्जा योजना), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीमें लागू की गई हैं।

- ii. बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम लागू की जा रही है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और उसे तीव्र गति देने के लिए निम्नलिखित कई कदम उठाए गए हैं और पहलें की गई हैं:

- i. दिनांक 30 जून, 2025 तक (जून, 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से छूट में क्रमिक कमी सहित) शुरू होने वाली परियोजनाओं, जून 2028 तक शुरू होने वाली एक ही स्थान पर स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य अवाई होने वाली हाईड्रो पीएसपी परियोजनाओं, दिसंबर 2030 तक शुरू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा दिसंबर 2032 तक शुरू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क को 100% माफ किया गया है।
- ii. ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- iii. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक 'नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों' (आरईआईए) द्वारा प्रति वर्ष 50 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों के जारी करने के लिए बोली ट्रेजेक्ट्री जारी की है।
- iv. स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- v. नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी हेतु हरित ऊर्जा गलियारा स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई उप-स्टेशन क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान की गई है।
- vi. तेज़ी से बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2032 तक की पारेषण योजना तैयार की गई है।
- vii. भारत सरकार ने सितंबर 2023 में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम के अंतर्गत 13.22 गीगावाटघंटा की बीईएसएस क्षमता का कार्यान्वयन चल रहा है, जिसके लिए 3,760 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। बीईएसएस की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने जून 2025 में 30 गीगावाट घंटा बीईएसएस क्षमता के विकास के लिए एक और वीजीएफ स्कीम को मंजूरी दी, जिसमें विद्युत प्रणाली विकास कोष (पीएसडीएफ) से 5,400 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- viii. नवीकरणीय ऊर्जा खपत को प्रोत्साहित करने के लिए, नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रेजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। आरसीओ जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सभी निर्दिष्ट उपभोक्ताओं पर लागू होता है,

उसके अनुपालन न करने पर शास्ति लगेगी। आरसीओ में विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।

- ix. अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कार्यनीति जारी की गई है।
- x. सौर पीवी मॉड्यूल्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम लागू कर रही है।

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत अर्थात् 64,670 मेगावाट सौर, 6,490 मेगावाट पवन और 59,990 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा, सहित 1,54,830 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माणाधीन है (जनवरी 2026 तक), जबकि गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत अर्थात् 35,440 मेगावाट सौर और 10,080 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा,सहित 47,920 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, आयोजन के विभिन्न चरणों में है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (अर्थात् पवन, सौर, बायोमास, गन्ना अवशेष, लघु जलविद्युत और अन्य - अपशिष्ट से ऊर्जा आदि) से राज्यवार बिजली उत्पादन:

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में हैं)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पवन	सौर	बायोमास	खोई	लघु हाइड्रो	अन्य (अपशिष्ट से ऊर्जा, आदि)	कुल
चंडीगढ़	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
दिल्ली	0.00	189.99	0.00	0.00	0.00	236.71	426.70
हरियाणा	0.00	162.95	178.88	142.34	276.58	0.00	760.75
हिमाचल प्रदेश	0.00	36.52	0.00	0.00	2,123.78	0.00	2,160.30
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	9.42	0.00	0.00	429.88	0.00	439.29
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	1,356.48	585.99	231.50	690.33	0.17	2,864.47
राजस्थान	5,708.27	10,384.24	413.24	0.00	10.64	0.00	16,516.38
उत्तर प्रदेश	0.00	1,856.19	135.82	3,590.87	164.91	0.00	5,747.78
उत्तराखंड	0.00	329.64	0.00	85.33	821.88	0.00	1,236.85
उत्तरी क्षेत्र	5,708.27	14,335.59	1,313.92	4,050.03	4,518.00	236.88	30,162.68
छत्तीसगढ़	0.00	370.80	1,089.32	28.25	145.52	0.00	1,633.89
गुजरात	13,058.52	4,633.81	43.15	19.37	211.94	10.61	17,977.39
मध्य प्रदेश	3,913.45	4,202.03	0.48	82.57	281.76	37.57	8,517.86
महाराष्ट्र	6,384.74	3,089.46	328.23	3,627.43	802.71	0.10	14,232.67
दादरा और नगर हवेली	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
दमन और दीव	0.00	29.52	10.53	0.00	0.00	0.00	40.04
गोवा	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
पश्चिमी क्षेत्र	23,356.70	12,339.03	1,471.71	3,757.61	1,441.93	48.27	42,415.27
आंध्र प्रदेश	6,557.75	6,956.10	135.21	67.66	351.23	65.88	14,133.83
तेलंगाना	220.91	6,351.04	164.11	61.00	67.27	69.05	6,933.37
कर्नाटक	9,610.91	13,238.86	211.79	2,589.09	2,199.68	0.00	27,850.33
केरल	130.42	275.44	0.00	45.68	640.58	0.01	1,092.12
तमिलनाडु	14,564.99	6,115.48	152.23	581.57	244.77	0.00	21,659.05
लक्षद्वीप	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
पुडुचेरी	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39
दक्षिणी क्षेत्र	31,084.98	32,943.75	663.34	3,344.99	3,503.54	134.93	71,675.53
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	24.82	0.00	0.00	14.69	0.00	39.51
बिहार	0.00	160.63	21.30	1.48	43.20	0.00	226.61
झारखंड	0.00	17.16	0.00	0.00	9.31	0.00	26.47
ओडिशा	0.00	476.26	42.71	0.00	358.80	0.00	877.77
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	55.96	0.00	55.96
पश्चिम बंगाल	0.00	73.92	0.00	148.73	107.06	1,200.99	1,530.70
पूर्वी क्षेत्र	0.00	752.78	64.01	150.21	589.03	1,200.99	2,757.01
अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.54	0.00	0.00	0.55	0.00	2.10
असम	0.00	13.37	0.00	0.00	38.15	0.00	51.51
मणिपुर	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	56.79	0.00	56.79
मिजोरम	0.00	2.45	0.00	0.00	31.07	0.00	33.52
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	69.77	0.00	69.77
त्रिपुरा	0.00	6.04	0.00	0.00	9.58	0.00	15.62
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	0.00	31.11	0.00	0.00	205.91	0.00	237.02
अखिल भारत कुल	60,149.95	60,402.26	3,512.98	11,302.85	10,258.41	1,621.06	1,47,247.51

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (अर्थात् पवन, सौर, बायोमास, गन्ना अवशेष, लघु जलविद्युत और अन्य - अपशिष्ट से ऊर्जा आदि) से राज्यवार बिजली उत्पादन:

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में हैं)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पवन	सौर	बायोमास	खोई	लघु हाइड्रो	अन्य (अपशिष्ट से ऊर्जा, आदि)	कुल
चंडीगढ़	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19
दिल्ली	0.00	225.84	0.00	0.00	0.00	232.89	458.73
हरियाणा	0.00	572.85	171.60	96.75	270.13	24.09	1,135.42
हिमाचल प्रदेश	0.00	44.29	0.00	0.00	1,999.47	0.00	2,043.76
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	1.71	0.00	0.00	414.10	0.00	415.81
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	1,473.41	576.83	208.30	983.37	0.24	3,242.15
राजस्थान	6,493.19	17,219.88	378.40	0.00	7.85	0.00	24,099.31
उत्तर प्रदेश	0.00	2,900.41	85.20	3,160.39	162.54	20.40	6,328.94
उत्तराखंड	0.00	301.60	0.00	244.02	326.70	0.00	872.32
उत्तरी क्षेत्र	6,493.19	22,754.17	1,212.03	3,709.46	4,164.16	277.62	38,610.64
छत्तीसगढ़	0.00	436.56	1,307.27	8.70	185.67	0.00	1,938.21
गुजरात	17,854.77	6,774.50	0.00	18.16	192.10	0.00	24,839.53
मध्य प्रदेश	4,346.66	4,006.70	25.35	82.20	221.43	34.40	8,716.73
महाराष्ट्र	7,085.98	3,187.18	316.79	4,468.31	787.16	0.22	15,845.64
दादरा और नगर हवेली	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	49.16
दमन और दीव	0.00	35.35	12.32	0.00	0.00	0.00	47.67
गोवा	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00	0.89	16.82
पश्चिमी क्षेत्र	29,287.41	14,505.37	1,661.73	4,577.38	1,386.36	35.51	51,453.76
आंध्र प्रदेश	7,134.58	7,832.51	104.85	72.70	384.08	133.88	15,662.61
तेलंगाना	275.69	6,536.94	111.13	103.95	91.00	227.20	7,345.89
कर्नाटक	9,491.62	13,169.43	174.08	3,338.24	2,460.91	0.00	28,634.28
केरल	136.41	496.93	0.00	48.92	932.37	0.00	1,614.62
तमिलनाडु	15,821.18	7,172.88	116.66	657.40	293.17	0.00	24,061.28
लक्षद्वीप	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
पुदुचेरी	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
दक्षिणी क्षेत्र	32,859.47	35,221.23	506.71	4,221.20	4,161.53	361.08	77,331.22
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	21.51	0.00	0.00	13.26	0.00	34.77
बिहार	0.00	163.08	2.14	65.84	8.77	0.00	239.83
झारखंड	0.00	18.21	0.00	0.00	10.49	0.00	28.71
उड़ीसा	0.00	603.71	100.08	0.00	377.32	0.00	1,081.10
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	0.00	12.35
पश्चिम बंगाल	0.00	98.24	0.00	0.00	152.90	1,593.96	1,845.09
पूर्वी क्षेत्र	0.00	904.75	102.22	65.84	575.09	1,593.96	3,241.86
अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.72	0.00	0.00	0.41	0.00	2.13
असम	0.00	81.64	0.00	0.00	40.46	0.00	122.10
मणिपुर	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
मेघालय	0.00	0.47	0.00	0.00	44.21	0.00	44.68
मिजोरम	0.00	1.68	0.00	0.00	26.41	0.00	28.09
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	63.47	0.00	63.47
त्रिपुरा	0.00	6.18	0.00	0.00	1.44	0.00	7.62
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	0.00	98.41	0.00	0.00	176.41	0.00	274.82
अखिल भारत कुल	68,640.07	73,483.94	3,482.70	12,573.88	10,463.55	2,268.17	1,70,912.30

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (अर्थात पवन, सौर, बायोमास, गन्ना अवशेष, लघु जलविद्युत और अन्य - अपशिष्ट से ऊर्जा आदि) से राज्यवार बिजली उत्पादन:

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में हैं)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पवन	सौर	बायोमास	खोई	लघु हाइड्रो	अन्य (अपशिष्ट से ऊर्जा, आदि)	कुल
चंडीगढ़	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61
दिल्ली	0.00	236.11	0.00	0.00	0.00	294.09	530.20
हरियाणा	0.00	555.20	356.07	203.01	241.90	63.55	1,419.73
हिमाचल प्रदेश	0.00	58.76	0.00	0.00	2,854.07	0.00	2,912.83
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	393.20	0.00	393.20
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	2,778.66	497.68	210.76	682.48	0.00	4,169.58
राजस्थान	6,111.41	34,474.43	397.05	0.00	7.17	0.00	40,990.05
उत्तर प्रदेश	0.00	3,674.02	66.35	3,183.67	234.69	58.45	7,217.18
उत्तराखंड	0.00	331.80	0.00	248.52	352.07	0.00	932.39
उत्तरी क्षेत्र	6,111.41	42,121.59	1,317.15	3,845.96	4,765.58	416.08	58,577.77
छत्तीसगढ़	0.00	635.42	1,194.60	17.10	155.92	0.00	2,003.05
गुजरात	19,206.22	10,335.32	0.00	5.76	213.10	2.24	29,762.63
मध्य प्रदेश	4,486.72	3,839.30	38.76	113.05	357.97	36.93	8,872.72
महाराष्ट्र	7,243.06	4,387.85	236.48	4,572.03	766.73	0.44	17,206.59
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	27.40	3.22	0.00	0.00	0.00	30.62
गोवा	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00	5.09	19.96
पश्चिमी क्षेत्र	30,935.99	19,240.16	1,473.06	4,707.94	1,493.72	44.70	57,895.56
आंध्र प्रदेश	7,426.46	8,140.72	54.86	99.93	410.90	279.04	16,411.91
तेलंगाना	279.23	6,745.46	21.48	132.94	91.71	159.08	7,429.89
कर्नाटक	9,967.89	14,153.79	106.90	3,037.31	2,308.59	0.00	29,574.48
केरल	179.32	879.75	0.00	62.85	824.34	0.00	1,946.26
तमिलनाडु	16,913.85	9,419.39	126.93	869.56	296.71	0.00	27,626.45
लक्षद्वीप	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
पुदुचेरी	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
दक्षिणी क्षेत्र	34,766.76	39,351.45	310.17	4,202.58	3,932.25	438.12	83,001.33
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	23.94	0.00	0.00	13.94	0.00	37.88
बिहार	0.00	169.53	0.00	106.68	12.63	0.00	288.85
झारखंड	0.00	19.70	0.00	0.00	2.40	0.00	22.10
ओडिशा	0.00	706.24	60.95	0.00	424.92	0.00	1,192.10
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	0.00	12.35
पश्चिम बंगाल	0.00	125.04	0.00	0.00	204.44	1,629.64	1,959.12
पूर्वी क्षेत्र	0.00	1,044.45	60.95	106.68	670.69	1,629.64	3,512.41
अरुणाचल प्रदेश	0.00	22.27	0.00	0.00	2.55	0.03	24.85
असम	0.00	216.35	0.00	0.00	62.66	0.00	279.01
मणिपुर	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00	0.63	8.79
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	72.16	0.00	72.16
मिजोरम	0.00	3.21	0.00	0.00	59.06	0.00	62.27
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	111.95	0.00	111.95
त्रिपुरा	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	0.00	256.58	0.00	0.00	308.38	0.65	565.61
अखिल भारत कुल	71,814.16	1,02,014.24	3,161.32	12,863.16	11,170.61	2,529.18	2,03,552.68

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (जैसे पवन, सौर, बायोमास, गन्ना अवशेष, लघु जलविद्युत और अन्य - अपशिष्ट से ऊर्जा आदि) से राज्यवार बिजली उत्पादन:

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पवन	सौर	बायोमास	खोई	लघु हाइड्रो	अन्य (अपशिष्ट से ऊर्जा, आदि)	कुल
चंडीगढ़	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
दिल्ली	0.00	206.53	0.00	0.00	0.00	522.28	728.81
हरियाणा	0.00	992.91	294.12	83.60	222.05	58.82	1,651.50
हिमाचल प्रदेश	0.00	59.54	0.00	0.00	2,526.98	0.00	2,586.52
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	408.69	0.00	408.69
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	2,673.99	613.44	197.99	636.97	0.00	4,122.40
राजस्थान	8,390.67	38,363.28	387.55	0.00	7.45	0.00	47,148.96
उत्तर प्रदेश	0.00	3,971.31	46.65	2,923.55	175.24	84.85	7,201.59
उत्तराखंड	0.00	331.80	0.00	248.52	350.62	0.00	930.94
उत्तरी क्षेत्र	8,390.67	46,611.07	1,341.76	3,453.66	4,328.01	665.95	64,791.12
छत्तीसगढ़	0.00	943.75	1,368.61	19.54	145.54	0.00	2,477.44
गुजरात	24,794.50	13,468.91	0.00	2.13	217.68	0.00	38,483.22
मध्य प्रदेश	4,949.78	4,025.19	84.62	97.01	469.60	28.83	9,655.02
महाराष्ट्र	8,228.97	5,814.13	304.61	3,495.82	888.48	33.40	18,765.41
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	15.74	13.12	0.00	0.00	0.00	28.86
गोवा	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00	7.96	67.95
पश्चिमी क्षेत्र	37,973.25	24,327.70	1,770.96	3,614.50	1,721.30	70.19	69,477.90
आंध्र प्रदेश	8,644.00	8,300.03	18.75	66.63	127.10	307.97	17,464.48
तेलंगाना	304.63	6,884.68	10.57	95.08	58.87	155.29	7,509.10
कर्नाटक	10,950.20	15,404.09	47.45	2,754.06	1,370.76	0.00	30,526.55
केरल	214.53	1,195.28	0.00	78.08	716.31	0.04	2,204.24
तमिलनाडु	16,908.08	11,737.48	129.14	622.61	206.00	0.00	29,603.31
लक्षद्वीप	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
पुदुचेरी	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
दक्षिणी क्षेत्र	37,021.43	43,533.89	205.91	3,616.46	2,479.03	463.31	87,320.02
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	27.50	0.00	0.00	12.00	0.00	39.50
बिहार	0.00	195.19	0.00	140.98	5.92	0.00	342.08
झारखंड	0.00	17.64	0.00	0.00	5.52	0.00	23.16
ओडिशा	0.00	757.69	96.07	0.00	407.97	0.00	1,261.72
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	0.00	12.35
पश्चिम बंगाल	0.00	168.32	2.49	0.00	204.46	1,545.13	1,920.39
पूर्वी क्षेत्र	0.00	1,166.33	98.55	140.98	648.22	1,545.13	3,599.20
अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.89	0.00	0.00	0.66	0.00	2.55
असम	0.00	316.31	0.00	0.00	64.20	0.75	381.26
मणिपुर	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00	1.23	8.96
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	66.55	0.00	66.55
मिजोरम	0.00	3.19	0.00	0.00	95.93	0.00	99.11
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	81.14	0.00	81.14
त्रिपुरा	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	0.00	336.12	0.00	0.00	308.48	1.98	646.59
अखिल भारत कुल	83,385.35	1,15,975.11	3,417.19	10,825.59	9,485.04	2,746.55	2,25,834.83

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (जैसे पवन, सौर, बायोमास, गन्ना अवशेष, लघु जलविद्युत और अन्य - अपशिष्ट से ऊर्जा आदि) से राज्यवार बिजली उत्पादन:

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पवन	सौर	बायोमास	खोई	लघु हाइड्रो	अन्य (अपशिष्ट से ऊर्जा, आदि)	कुल
चंडीगढ़	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
दिल्ली	0.00	206.53	0.00	0.00	0.00	542.41	748.95
हरियाणा	0.00	1,470.02	359.23	44.60	314.64	49.13	2,237.62
हिमाचल प्रदेश	0.00	107.24	0.00	0.00	3,040.90	0.00	3,148.14
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	395.17	0.00	395.17
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	1,372.73	692.06	348.11	734.01	0.00	3,146.91
राजस्थान	6,941.26	49,101.62	400.85	0.00	4.15	0.00	56,447.88
उत्तर प्रदेश	0.00	4,966.06	76.48	2,457.35	179.00	29.88	7,708.76
उत्तराखंड	0.00	331.80	0.00	248.52	353.40	0.00	933.72
उत्तरी क्षेत्र	6,941.26	57,564.79	1,528.62	3,098.58	5,021.27	621.42	74,775.94
छत्तीसगढ़	0.00	1,523.27	1,543.26	20.05	139.34	0.00	3,225.93
गुजरात	25,440.90	20,219.48	107.62	0.00	205.98	0.00	45,973.98
मध्य प्रदेश	4,712.84	7,123.73	61.95	121.55	482.19	65.06	12,567.32
महाराष्ट्र	7,659.71	7,725.20	259.41	3,001.04	855.48	90.35	19,591.19
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	15.87	12.76	0.00	0.00	0.00	28.63
गोवा	0.00	57.11	0.00	0.00	0.00	8.14	65.24
पश्चिमी क्षेत्र	37,813.45	36,664.67	1,984.99	3,142.65	1,683.00	163.54	81,452.29
आंध्र प्रदेश	7,235.04	7,993.48	19.61	52.34	294.36	307.40	15,902.23
तेलंगाना	290.60	6,941.75	12.61	64.28	74.48	257.96	7,641.70
कर्नाटक	13,620.33	15,699.63	32.15	2,474.25	2,259.49	0.00	34,085.85
केरल	119.85	1,711.83	0.00	20.53	814.29	56.64	2,723.14
तमिलनाडु	17,326.66	15,739.30	106.90	377.99	256.60	0.00	33,807.45
लक्षद्वीप	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
पुदुचेरी	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
दक्षिणी क्षेत्र	38,592.48	48,098.33	171.27	2,989.39	3,699.22	622.01	94,172.69
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	24.59	0.00	0.00	14.40	0.00	39.00
बिहार	0.00	325.86	0.00	104.70	14.54	0.00	445.10
झारखंड	0.00	17.64	0.00	0.00	6.25	0.00	23.89
ओडिशा	0.00	786.75	53.80	0.00	457.20	0.00	1,297.75
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	0.00	12.35
पश्चिम बंगाल	0.00	320.75	0.00	0.00	183.30	1,462.46	1,966.51
पूर्वी क्षेत्र	0.00	1,475.60	53.80	104.70	688.04	1,462.46	3,784.60
अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.30	0.00	0.00	0.58	0.00	1.88
असम	0.00	305.52	0.00	0.00	208.55	0.30	514.36
मणिपुर	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	116.65	0.00	116.65
मिजोरम	0.00	25.38	0.00	0.00	52.11	0.00	77.49
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	98.62	0.00	98.62
त्रिपुरा	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	0.00	346.85	0.00	0.00	476.51	0.30	823.66
कुल अखिल भारत	83,347.19	1,44,150.23	3,738.67	9,335.32	11,568.04	2,869.73	2,55,009.19

वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 (फरवरी 2026 तक) के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (जैसे पवन, सौर, बायोमास, गन्ना अवशेष, लघु जलविद्युत और अन्य - अपशिष्ट से ऊर्जा आदि) से राज्यवार विद्युत उत्पादन:

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पवन	सौर	बायोमास	खोई	लघु हाइड्रो	अन्य (अपशिष्ट से ऊर्जा, आदि)	कुल
चंडीगढ़	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
दिल्ली	0.00	189.32	0.00	0.00	0.00	446.17	635.49
हरियाणा	0.00	1,448.01	368.30	62.80	213.15	49.52	2,141.78
हिमाचल प्रदेश	0.00	179.19	0.00	0.00	2,605.70	0.00	2,784.89
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	388.32	0.00	388.32
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	1,240.84	628.03	200.97	424.01	0.00	2,493.85
राजस्थान	6,737.16	54,226.99	700.13	0.00	5.39	0.00	61,669.67
उत्तर प्रदेश	0.00	4,731.43	95.79	2,048.91	80.08	32.92	6,989.12
उत्तराखंड	0.00	304.15	0.00	227.81	323.95	0.00	855.91
उत्तरी क्षेत्र	6,737.16	62,327.20	1,792.25	2,540.48	4,040.59	528.61	77,966.30
छत्तीसगढ़	0.00	1,671.91	1,327.09	7.58	240.35	0.00	3,246.93
गुजरात	31,404.95	23,245.13	149.40	0.00	174.99	0.00	54,974.48
मध्य प्रदेश	4,398.77	7,274.96	64.55	62.43	477.06	50.34	12,328.10
महाराष्ट्र	8,214.56	9,301.43	236.69	3,044.52	848.58	52.78	21,698.56
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	18.49	11.59	0.00	0.00	0.00	30.08
गोवा	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00	7.46	59.81
पश्चिमी क्षेत्र	44,018.28	41,564.27	1,789.33	3,114.53	1,740.97	110.58	92,337.95
आंध्र प्रदेश	8,579.21	7,643.91	13.38	41.62	389.12	347.75	17,014.98
तेलंगाना	275.91	6,205.39	19.32	66.59	83.25	286.61	6,937.08
कर्नाटक	17,811.83	16,116.89	41.99	3,134.30	2,734.32	6.25	39,845.58
केरल	126.24	2,127.50	0.00	0.00	909.29	88.89	3,251.91
तमिलनाडु	23,699.39	17,504.97	0.00	173.39	295.61	0.00	41,673.36
लक्षद्वीप	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
पुदुचेरी	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22
दक्षिणी क्षेत्र	50,492.57	49,609.96	74.69	3,415.90	4,411.59	729.50	1,08,734.22
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	15.37	0.00	0.00	13.12	0.00	28.50
बिहार	0.00	294.00	0.00	71.96	21.19	0.00	387.15
झारखंड	0.00	16.17	0.00	0.00	18.95	0.00	35.12
ओडिशा	0.00	822.60	76.00	0.00	589.35	0.00	1,487.95
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	0.00	11.33
पश्चिम बंगाल	0.00	377.12	0.00	0.00	175.65	1,334.66	1,887.43
पूर्वी क्षेत्र	0.00	1,525.26	76.00	71.96	829.59	1,334.66	3,837.46
अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.29	0.00	0.00	0.33	0.00	2.62
असम	0.00	297.80	0.00	0.00	136.47	0.47	434.75
मणिपुर	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	146.58	0.00	146.58
मिजोरम	0.00	27.41	0.00	0.00	22.85	0.00	50.26
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80	0.00	94.80
त्रिपुरा	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	0.00	343.78	0.00	0.00	401.04	0.47	745.30
कुल अखिल भारत	1,01,248.02	1,55,370.47	3,732.27	9,142.87	11,423.78	2,703.82	2,83,621.23

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-6223
दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति

6223. श्री छोटेलाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र सहित रॉबर्टसगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों, जहां वर्तमान में अनियमित और अनिश्चित विद्युत आपूर्ति हो रही है, में कब तक नियमित और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(i) विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण, वितरण यूटिलिटी के दायरे में आता है, जो अपने संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में कार्य करती हैं।

(ii) इसके अलावा, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करेगा। तथापि, आयोग कृषि जैसे कुछ उपभोक्ता वर्गों के लिए आपूर्ति के घंटे कम कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सोनभद्र क्षेत्र सहित रॉबर्टसगंज लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। विवरण निम्नानुसार है:

यूपीपीसीएल (उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति (घंटों में)
शहरी क्षेत्र	24:00
तहसील क्षेत्र	21:30
ग्रामीण क्षेत्र	18:00

(iii) भारत सरकार ने पहले 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), अक्टूबर 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और वर्तमान में जुलाई 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) जैसी स्कीमों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण विद्युत तक पहुंच प्रदान करने में राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान की है।

(iv) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी आबाद जनगणना गांवों में 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, डीडीजीजेवाई योजना के तहत और उसके बाद सौभाग्य योजना के तहत, सभी इच्छुक परिवारों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया था। ये दोनों स्कीम 31.03.2022 को बंद हो गईं।

(v) आरडीएसएस के तहत, देश भर में हानि न्यूनीकरण अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 40,739 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसमें हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों के लिए 21,782 करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 18,956 करोड़ रुपये शामिल हैं। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए, हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों के लिए 227.78 करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 183.37 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

(vi) स्वीकृत हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों में सबस्टेशनों का उन्नयन और संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) की स्थापना, डीटी का उन्नयन, पुराने कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, फीडर का विभाजन और पृथक्करण, नेटवर्क सुदृढीकरण और केबलिंग कार्य शामिल हैं।

(vii) उपर्युक्त कार्यों के पूरा होने से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस स्कीम की समाप्ति तिथि 31.03.2028 है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-6228
दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

कर्नाटक के कोलार जिले में अनियमित विद्युत आपूर्ति

†6228. श्री एम. मल्लेश बाबू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोलार जिले में अनिश्चित विद्युत आपूर्ति और कम वोल्टेज की समस्या, जिसके कारण सिंचाई पंप सेट बार-बार जल रहे हैं और फसलों का भारी नुकसान हो रहा है, के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आर.डी.एस.एस.) के अंतर्गत कोलार में फीडर पृथक्करण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक गैर-कृषि भार से सफलतापूर्वक अलग किए गए कृषि फीडरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने पी.एम.-कुसुम योजना के अंतर्गत उक्त पृथक किए गए कृषि फीडर को सौर ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किसानों को अपनी पंपिंग अवसंरचना को उन्नत करने, जैसे वोल्टेज के उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से संभालने के लिए प्रभावपूर्ण पंप या मोटर के लिए उपलब्ध तकनीकी और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार कोलार जैसे जल की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की अवधि और गुणवत्ता के संबंध में स्थानीय विद्युत वितरण कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कृषि फीडरों की रीयल-टाइम, आई.टी.-सक्षम निगरानी लागू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित कार्य राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करेगा। तथापि, आयोग कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं जैसे कृषि के लिए आपूर्ति के कम घंटों को विनिर्दिष्ट कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और सभी क्षेत्रों के लिए लागू हैं।

राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वितरण यूटिलिटी द्वारा अनियमित विद्युत आपूर्ति या कम वोल्टेज के मुद्दों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण कोलार जिले में सिंचाई पंप सेट के बार-बार जलने या फसल का उल्लेखनीय नुकसान हो। इसके अतिरिक्त, कोलार जिले के सभी कृषि फीडरों को 3-फेज की विद्युत 7 घंटे दी जा रही हैं।

(ख) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कोलार जिले में राज्य स्कीम तथा कैपेक्स कार्यों के माध्यम से 291 फीडरों का पृथक्करण किया गया है। कर्नाटक राज्य ने फीडर पृथक्करण कार्यों हेतु संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत भाग नहीं लिया है।

(ग) और (घ) : प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) स्कीम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को डीजल-मुक्त बनाना और किसानों की आय बढ़ाना है। इस स्कीम के अंतर्गत, स्टैंडअलोन सोलर पंपों की स्थापना तथा मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण हेतु केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह स्कीम मांग-आधारित है, और राज्य द्वारा की गई मांग तथा प्राप्त किए गए उद्देश्यों के आधार पर क्षमता का आवंटन किया जाता है।

स्कीम के अंतर्गत कर्नाटक राज्य की संस्वीकृति और उपलब्धि निम्नानुसार है:

घटक-क (मेगावाट)		घटक-ख (सं.)		घटक-ग (सं.)	
संस्वीकृत	उपलब्धि	संस्वीकृत पंप	उपलब्धि	संस्वीकृत पंप	उपलब्धि
0	0	41,365	5,533	7,63,588	86,827

इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कर्नाटक में पंपों या मोटरों की आवश्यक क्षमता को आईपी सेट उपयोगकर्ताओं द्वारा ही खरीदा और संस्थापित किया जाना चाहिए और ऐसे उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से ऊर्जा दक्ष स्टार रेटेड पंप सेट संस्थापित करने होंगे।

(ङ) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बीईएससीओएम के कुल 5,216 फीडरों को राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएफएमएस) के साथ एकीकृत किया गया है, जिनमें से 2,103 कृषि फीडर हैं। बीईएससीओएम का वितरण नियंत्रण केंद्र ऐसे सभी 11 केवी फीडरों की लगातार निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की अवधि और गुणवत्ता कर्नाटक सरकार/केईआरसी मानदंडों के अनुसार बनाए रखी जाए।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-6243
दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत वितरण कंपनियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

†6243. कैप्टन बृजेश चौटा:

श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत परिचालन दक्षता और कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करने के संबंध में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों में एटीएंडसी हानियों को कम करने और बिलिंग तथा वसूली दक्षता में सुधार करने में हुई प्रगति क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने डिस्कॉम की वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्मार्ट मीटरों की स्थापना में तेजी लाने और वितरण अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने वर्ष 2021 में 'संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम' (आरडीएसएस) शुरू की है, जिसका उद्देश्य वितरण कंपनियों की प्रचालन दक्षता और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करना है। इस स्कीम के तहत, स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित वितरण अवसंरचना के कार्यों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना और आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) तथा प्राप्त औसत राजस्व (एआरआर) के बीच के अंतर को समाप्त करना है।

इस स्कीम के तहत, राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, हानि न्यूनीकरण अवसंरचना के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है। हानि न्यूनीकरण कार्यों में पुराने कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, सबस्टेशनों और वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) का संवर्धन, नए सबस्टेशनों का निर्माण, नए डीटी की स्थापना, फीडर पृथक्करण और रियल-टाइम निगरानी के लिए स्काडा/डीएमएस (पर्यवेक्षक नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण/वितरण प्रबंधन प्रणाली) प्रणालियों का कार्यान्वयन शामिल है। विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार और हानि न्यूनीकरण के लिए आरडीएसएस के तहत कार्य शुरू किए गए हैं।

इसके अलावा, स्मार्ट मीटर की संस्थापना स्कीम के तहत एक प्रमुख हस्तक्षेप है जो वितरण प्रणाली के बेहतर ऊर्जा लेखांकन और राजस्व संग्रह में वृद्धि के माध्यम से डिस्कॉम के वित्तीय अनुशासन में सुधार करने में मदद करता है। स्मार्ट मीटरिंग के तहत 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 2.11 लाख फीडरों और 52.53 लाख डीटी के लिए, राज्यों/वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर कुल 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर संस्वीकृत किए गए हैं और 4.69 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। राज्यों की अपनी स्कीमों सहित अन्य स्कीमों के तहत भी स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। विभिन्न स्कीमों के तहत पूरे देश में कुल 6.13 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं।

स्मार्ट मीटरों की संस्थापना में तेजी लाने के लिए, मंत्रालय ने उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने हेतु विभिन्न परामर्श और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) सरकारी प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक, औद्योगिक और उच्च भार वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर की संस्थापना को प्राथमिकता देना और बाद में लाभों के प्रदर्शन के आधार पर अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी इन्हें लगाना;
- (ii) बिल में छूट के माध्यम से प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना।
- (iii) स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा;
- (iv) आसान किशतों में पिछले बकाया की वसूली के लिए तंत्र;
- (v) स्मार्ट मीटरों की सटीकता पर विश्वास बढ़ाने के लिए चेक मीटरों की संस्थापना।

इस योजना के तहत वितरण यूटिलिटी के निष्पादन की नियमित रूप से संस्थागत तंत्रों के माध्यम से समीक्षा की जाती है। स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत कार्यों की निगरानी और समीक्षा नोडल एजेंसियों, अर्थात् पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड द्वारा नियमित

रूप से की जा रही है। इसके अलावा, स्कीम के तहत संस्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी के लिए आरडीएसएस दिशानिर्देशों के तहत राज्य स्तर पर एक संस्थागत तंत्र अर्थात् संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वितरण सुधार समिति और केंद्रीय स्तर पर सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति स्थापित की गई है।

इसके अलावा, इस स्कीम के तहत निधि जारी करना विभिन्न प्रचालन और वित्तीय मापदंडों में सुधार पर निर्भर है, जिसने भारत सरकार और राज्यों द्वारा की गई अन्य पहलों के साथ-साथ, डिस्कॉम में दक्षता में सुधार करने में मदद की है। इनमें यूटिलिटी को सब्सिडी और सरकारी विभागों के बकाए का समय पर भुगतान, टैरिफ आदेश का नियमित जारी होना, खातों का प्रकाशन, नियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना आदि शामिल हैं।

आरडीएसएस और अन्य पहलों के तहत किए गए विभिन्न सुधार उपायों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटी की एटीएंडसी हानियां वित्त वर्ष 21 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 15.04% हो गई हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर बिलिंग दक्षता वित्त वर्ष 2021 में 84.17% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 87.59% हो गई है और संग्रह दक्षता वित्त वर्ष 2021 में 92.77% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 97% हो गई है। राज्यवार विवरण **अनुबंध** पर संलग्न हैं।

राज्यवार एटीएंडसी हानि (%)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 21	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 25
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	51.94	19.8	19.77	20.76	24.14
आंध्र प्रदेश	20.41	10.55	7.74	12.05	7.87
अरुणाचल प्रदेश	51.82	48.89	51.70	42.86	46.20
असम	18.73	16.95	16.22	14.03	15.44
बिहार	34.4	32.42	23.45	20.32	15.51
छत्तीसगढ़	18.05	18.13	16.14	15.88	14.25
दिल्ली	24.83	8.33	10.67	12.82	8.36
गोवा	12.89	13.28	17.09	9.09	10.39
गुजरात	11.56	10.13	10.72	8.97	8.25
हरियाणा	17.46	13.72	12.01	11.30	11.76
हिमाचल प्रदेश	14.02	12.9	10.57	10.88	19.44
झारखंड	43.09	33.79	27.46	30.51	28.19
कर्नाटक	15.97	11.45	14.19	11.89	11.92
केरल	7.83	7.69	5.65	7.44	6.61
लद्दाख	-	48.29	38.61	42.46	26.82
मध्य प्रदेश	41.72	22.55	20.45	22.89	22.76
महाराष्ट्र	27.68	15.25	16.96	23.86	17.69
मणिपुर	24.56	23.62	13.82	13.41	12.90
मेघालय	23.37	27.3	17.75	17.51	17.52
मिजोरम	29.05	36.23	26.53	28.01	32.31
नागालैंड	47.08	41.25	47.28	47.11	48.86
पुदुचेरी	20.12	11.08	21.83	17.75	14.72
पंजाब	18.54	11.67	11.23	10.96	19.21
राजस्थान	26.18	17.49	15.44	22.13	15.18
सिक्किम	98.35	30.77	26.41	27.84	21.84
तमिलनाडु	11.78	13.46	10.92	11.39	10.96
तेलंगाना	13.33	10.65	18.65	19.01	19.84
त्रिपुरा	37.36	33.25	24.91	69.01	29.61
उत्तर प्रदेश	27.11	30.52	22.18	16.39	19.54
उत्तराखंड	15.39	14.15	14.41	14.69	15.08
पश्चिम बंगाल	21.34	16.67	17.43	17.13	17.17
निजी क्षेत्र	13.86	15.23	10.76	11.00	10.05
राष्ट्रीय	21.91	16.12	15.11	16.12	15.04

राज्यवार बिलिंग दक्षता (%)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 21	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 25
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	76.5	80.74	81.86	79.24	76.70
आंध्र प्रदेश	92.37	92.43	92.77	92.67	92.81
अरुणाचल प्रदेश	48.18	53.3	55.97	60.07	60.24
असम	81.45	83.05	83.78	86.31	84.56
बिहार	72.36	78.81	79.88	84.04	86.45
छत्तीसगढ़	83.16	87.87	83.86	85.78	85.75
दिल्ली	81.57	91.67	89.33	96.08	91.64
गोवा	82.27	91.54	93.18	91.82	92.25
गुजरात	88.44	90.7	90.27	91.20	91.90
हरियाणा	82.95	86.28	89.03	89.51	90.12
हिमाचल प्रदेश	85.98	87.25	89.43	89.79	90.32
झारखंड	65.26	72.51	72.54	73.46	71.81
कर्नाटक	88.01	88.55	89.22	89.62	90.53
केरल	92.24	92.31	94.35	94.35	93.39
लद्दाख	-	59.48	61.39	61.29	81.10
मध्य प्रदेश	76.64	79.68	79.55	78.35	78.16
महाराष्ट्र	84.77	85.08	85.28	83.95	84.56
मणिपुर	86.07	83.05	86.18	88.52	89.41
मेघालय	76.63	77.77	84.01	82.49	83.40
मिजोरम	70.95	70.55	73.47	71.99	69.16
नागालैंड	54.85	58.72	55.70	54.94	53.77
पुदुचेरी	88.02	88.92	87.11	89.33	90.38
पंजाब	88.52	88.35	88.77	89.27	87.82
राजस्थान	80.65	82.51	84.56	82.90	85.70
सिक्किम	744.08	77.83	73.59	72.16	78.16
तमिलनाडु	89.49	87.9	90.83	90.08	90.32
तेलंगाना	92.19	90.96	91.89	91.24	91.54
त्रिपुरा	71.54	75.26	75.09	76.00	76.89
उत्तर प्रदेश	79.37	80.29	83.35	84.52	86.29
उत्तराखंड	86.04	85.85	85.59	86.11	86.31
पश्चिम बंगाल	79.03	84.84	83.28	83.75	84.63
निजी क्षेत्र	88.44	88.25	90.07	89.42	90.33
राष्ट्रीय	84.17	86.08	86.98	86.91	87.59

राज्यवार संग्रह दक्षता (%)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 21	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 25
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	62.82	99.33	98.01	100	98.91
आंध्र प्रदेश	86.15	96.77	99.45	94.91	99.26
अरुणाचल प्रदेश	100	95.88	86.30	95.12	89.31
असम	99.78	100	100	99.60	100
बिहार	90.66	85.75	95.83	94.82	97.73
छत्तीसगढ़	98.55	100	100	98.06	100
दिल्ली	82.08	100	100	90.74	100
गोवा	94.4	94.74	88.98	99.01	97.14
गुजरात	100	99.08	98.91	99.82	99.84
हरियाणा	99.5	100	98.84	99.10	97.92
हिमाचल प्रदेश	100	99.82	100	99.26	89.20
झारखंड	87.21	91.31	100	94.60	100
कर्नाटक	95.47	100	96.18	98.32	97.30
केरल	99.92	100	100	98.10	100
लद्दाख	-	86.94	100	93.89	90.23
मध्य प्रदेश	76.03	97.2	100	98.42	98.83
महाराष्ट्र	85.32	99.6	97.37	90.69	97.34
मणिपुर	87.65	91.97	100	97.83	97.41
मेघालय	100	93.48	97.91	100	98.89
मिजोरम	100	90.9	100	100	97.88
नागालैंड	96.47	100	94.64	96.26	95.11
पुदुचेरी	90.75	100	89.73	92.08	94.36
पंजाब	92.02	99.7	100	99.73	92.00
राजस्थान	91.53	100	100	93.93	98.96
सिक्किम	2.23	88.95	100	100	100
तमिलनाडु	98.58	98.45	98.08	98.37	98.58
तेलंगाना	94.01	98.23	88.53	88.76	87.56
त्रिपुरा	87.55	88.7	100	40.77	91.54
उत्तर प्रदेश	91.84	86.54	93.36	98.93	93.24
उत्तराखंड	98.34	100	100	99.08	98.39
पश्चिम बंगाल	99.53	98.21	99.15	98.94	97.87
निजी क्षेत्र	97.4	96.05	99.08	99.53	99.58
राष्ट्रीय	92.77	97.45	97.60	96.51	97.00

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6283
दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत वितरण कंपनियों की बकाया राशि

†6283. श्री नवीन जिंदल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में विद्युत वितरण कंपनियों की बकाया राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्यों ने उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों के संचित ऋण को चुकाने के लिए बॉण्ड जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा भुगतान में विलंब के क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने दिनांक 3 जून, 2022 को विद्युत (विलम्ब भुगतान अधिभार एवं संबंधित मामले) नियम, 2022 (एलपीएस नियम) अधिसूचित किया था। इन नियमों के अनुसार, दिनांक 3 जून, 2022 तक उत्पादन कंपनियों (आईपीपी, सीपीएसई तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ता), व्यापारी तथा पारेषण कंपनियों को देय सभी बकाया राशि, जिसमें विलंब भुगतान अधिभार भी शामिल है, को पिछला बकाया के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इन बकाया राशियों को पुनर्निर्धारित किया जाना था और वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा इन्हें समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में भुगतान किया जाना था। इस नियम में वर्तमान देयताओं के समयबद्ध भुगतान के लिए भी एक रूपरेखा प्रदान की गई है।

इसके परिणामस्वरूप, पिछली बकाया राशि 03 जून, 2022 को 1,39,947 करोड़ रु. से घटकर दिनांक 27.03.2026 तक 3,330 करोड़ रु. हो गई है। डिस्कॉम (वितरण यूटिलिटी) नियमों के तहत लागू विनियमनों से बचने हेतु अपने वर्तमान देयताओं का समय पर भुगतान कर रही हैं।

नियमों के कार्यान्वयन के लिए प्राप्ति (बिजली खरीद में भुगतान की पुष्टि और विश्लेषण) पोर्टल का उपयोग किया गया। प्राप्ति पोर्टल के अनुसार डिस्कॉम के राज्यवार बकाया देयताओं का ब्यौरा अनुबंध-1 पर है।

(ख) : भारत सरकार द्वारा नवंबर, 2015 में वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से वितरण यूटिलिटी के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय सुधार के समग्र उद्देश्य के साथ उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) शुरू की गई थी। 27 राज्यों (ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर) तथा 5 संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली एवं चंडीगढ़ को छोड़कर) ने इसके अंतर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वित्त वर्ष 2016-17 तक उदय के अंतर्गत जारी बॉण्डों का ब्यौरा **अनुबंध-11** पर है। पिछले तीन वर्षों में उदय के अंतर्गत कोई बॉण्ड जारी नहीं किया गया।

(ग) और (घ) : वितरण यूटिलिटी द्वारा भुगतान में विलम्ब के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

- वितरण यूटिलिटी द्वारा किए गए व्ययों की विनियामक अस्वीकृति।
- औसत आपूर्ति लागत और औसत प्राप्त राजस्व के बीच लगातार अंतर (एसीएस-एआरआर अंतर)।
- राज्य सरकारों से सब्सिडी तथा सरकारी विभागों के बकाए की प्राप्ति में विलम्ब।

भारत सरकार ने वितरण यूटिलिटी में वित्तीय स्थिति में सुधार करने हेतु कई कदम उठाए हैं:

- i. ईंधन एवं विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) के कार्यान्वयन तथा लागत प्रतिबिंबित टैरिफ सुनिश्चित करने हेतु नियम, ताकि विद्युत आपूर्ति की सभी विवेकपूर्ण लागत ली जा सके।
- ii. सब्सिडी के उचित लेखांकन तथा समय पर भुगतान हेतु नियम एवं मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई।
- iii. वर्ष 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत हानि न्यूनीकरण तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए पूरे देश में 2.83 लाख करोड़ रु. के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। स्कीम के अंतर्गत निधियों का जारी होना यूटिलिटी के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय प्रदर्शन में सुधार पर निर्भर है। इस शर्त से डिस्कॉम में वित्तीय अनुशासन लाने में सहायता मिली है। साथ ही, इन कार्यों के क्रियान्वयन से तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी आएगी।
- iv. एलपीएस नियमों के माध्यम से बकाया राशि का समय पर भुगतान।
- v. राज्य सरकारों को जीएसडीपी के 0.5% तक अतिरिक्त ऋण की अनुमति, जो विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधारों को लागू करने की शर्त पर आधारित है।
- vi. राज्य स्वामित्व वाली यूटिलिटी, जैसे- डिस्कॉम/जेनको/ट्रांसको को ऋण स्वीकृति हेतु अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड, जो विद्युत वितरण यूटिलिटी के निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रदर्शन पर आधारित है।

दिनांक 03.06.2022 तक राज्य-वार बकाया देय राशि तथा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली दिनांक 27.03.2026 तक शेष बकाया देय राशि का विवरण*

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डिस्कॉम	दिनांक 03.06.2022 तक	दिनांक 27.03.2026 तक		
			डिस्कॉमों के अनुसार बकाया राशि	44 ईएमआई के भुगतान के बाद शेष पुरानी बकाया राशि	प्राप्ति# के अनुसार वर्तमान बकाया राशि	कुल बकाया (वर्तमान + पुरानी)
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश विद्युत क्रय समन्वय समिति	18,309	-	1,375	1,375
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड		-	384	384
3	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड		-	73	73
4	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश केंद्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड		-	54	54
5	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल विद्युत वितरण विभाग	-	-	0	0
6	असम	असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	-	-	61	61
7	बिहार	उत्तरी बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	430	-	4	4
8	बिहार	दक्षिणी बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	662	-	0	0
9	चंडीगढ़	चंडीगढ़ विद्युत वितरण लिमिटेड	-	-	0	0
10	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	4,162	-	77	77
11	दिल्ली	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद	-	-	31	31
12	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	-	-	2	2
13	दिल्ली	दिल्ली टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	-	-	0	0
14	दिल्ली	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	-	-	0	0
15	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीप	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीप विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	-	48	48
16	गोवा	गोवा विद्युत विभाग	-	-	1	1

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डिस्कॉम	दिनांक 03.06.2022 तक	दिनांक 27.03.2026 तक		
			डिस्कॉमों के अनुसार बकाया राशि	44 ईएमआई के भुगतान के बाद शेष पुरानी बकाया राशि	प्राप्ति# के अनुसार वर्तमान बकाया राशि	कुल बकाया (वर्तमान + पुरानी)
17	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	-	-	11	11
18	हरियाणा	हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र	-	-	179	179
19	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	-	-	15	15
20	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत व्यापार कंपनी लिमिटेड	14,164	-	886	886
21	झारखंड	झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	6,000	-	90	90
22	कर्नाटक	बेंगलुरु विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	7,529	612	1,142	1,754
23	कर्नाटक	हुबली विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	1,247	-	493	493
24	कर्नाटक	गुलबर्गा विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	2,129	41	288	329
25	कर्नाटक	चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड	2,528	92	266	358
26	कर्नाटक	मैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	125	10	1	11
27	केरल	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	-	-	14	14
28	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	8,500	-	95	95
29	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	17,320	1,150	1,625	2,775
30	महाराष्ट्र	अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड	-	-	15	15
31	महाराष्ट्र	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड - मुंबई वितरण	-	-	0	0
32	मणिपुर	मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	161	-	44	44
33	मेघालय	मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	-	0	0
34	मिज़ोरम	मिज़ोरम विद्युत विभाग	-	-	0	0
35	नागालैंड	नागालैंड विद्युत विभाग	-	-	26	26
36	ओडिशा	ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा	-	-	420	420
37	पुदुचेरी	पुदुचेरी विद्युत विभाग	-	-	0	0
38	पंजाब	पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	-	279	279

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डिस्कॉम	दिनांक 03.06.2022 तक	दिनांक 27.03.2026 तक		
			डिस्कॉमों के अनुसार बकाया राशि	44 ईएमआई के भुगतान के बाद शेष पुरानी बकाया राशि	प्राप्ति# के अनुसार वर्तमान बकाया राशि	कुल बकाया (वर्तमान + पुरानी)
39	राजस्थान	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	4,096	-	488	488
40	राजस्थान	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	8,874	-	122	122
41	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	9,264	-	130	130
42	राजस्थान	राजस्थान डिस्कॉम्स विद्युत खरीद केंद्र	-	-	0	0
43	सिक्किम	सिक्किम विद्युत विभाग	-	-	3	3
44	तमिलनाडु	तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम लिमिटेड	17,734	1,395	152	1,547
45	तेलंगाना	तेलंगाना की दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी	2,977	-	52	52
46	तेलंगाना	तेलंगाना राज्य उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी	6,973	-	134	134
47	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	-	-	72	72
48	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6,762	-	4,277	4,277
49	उत्तर प्रदेश	नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड	-	-	0	0
50	उत्तराखंड	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	-	42	42
51	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	-	-	20	20
52	पश्चिम बंगाल	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन	-	-	67	67
53	पश्चिम बंगाल	इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	-	37	37
		कुल	1,39,947	3,300	13,594	16,894

*:आपूर्तिकर्ताओं में उत्पादन, पारेषण और व्यापारिक कंपनियाँ शामिल हैं।

#:नियमों के अनुसार, वर्तमान बकाया राशि ट्रिगर तिथि के भीतर है।

क्रम सं.	राज्य	दिनांक 30-09-2015 तक डिस्कॉम की कुल देयताएं	समझौता ज्ञापन के अनुसार डिस्कॉम की देयताओं का पुनर्गठन किया जाएगा।	समझौता ज्ञापन के अनुसार राज्यों द्वारा जारी किए जाने वाले कुल बॉन्ड	राज्यों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड	डिस्कॉम द्वारा जारी किए गए बॉन्ड	यूडीएवाई के तहत जारी कुल बॉन्ड
1.	आंध्र प्रदेश	14,721	11,008	8,893	8,256	0	8,256
2.	असम	1,510	1,510	1,132	-	0	-
3.	बिहार	3,109	3,109	2,332	2,332	777	3,109
4.	छत्तीसगढ़	1,740	1,305	870	870	0	870
5.	हरियाणा	34,602	34,602	25,950	25,950	0	25,950
6.	हिमाचल प्रदेश	3,854	3,854	2,891	2,891	0	2,891
7.	जम्मू एवं कश्मीर	3,538	3,538	3,538	3,538	0	3,538
8.	झारखंड	7,215	7,215	6,924	6,136	0	6,136
9.	मध्य प्रदेश	34,739	7,360	7,360	7,360	0	7,360
10.	महाराष्ट्र	22,097	6,613	4,960	4,960	0	4,960
11.	मेघालय	167	167	125	125	0	125
12.	पंजाब	20,838	20,838	15,629	15,629	0	15,629
13.	राजस्थान	83,229	83,229	62,422	62,422	12,368	74,790
14.	तमिलनाडु	30,420	30,420	22,815	22,815	0	22,815
15.	तेलंगाना	11,897	11,897	8,923	8,923	0	8,923
16.	उत्तर प्रदेश	53,211	53,211	39,908	39,133	10,377	49,510
	कुल	3,26,887	2,79,876	2,14,672	2,11,340	23,522	2,34,862

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6310
दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ सहयोग

†6310. श्री सौमेंदु अधिकारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और अन्य देशों जैसे पड़ोसी देशों के साथ विद्युत क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्तमान में चल रही अथवा प्रचालन के लिए प्रस्तावित ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ख) : भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय तथा इसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ विद्युत क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने में लगे हैं।

विद्युत मंत्रालय और इसके सीपीएसई द्वारा पड़ोसी देशों के साथ किए गए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और समझौतों की सूची अनुबंध-I पर दी गई है।

पड़ोसी देशों के साथ विद्युत उत्पादन तथा सीमा-पार पारेषण लिंक परियोजनाओं का विवरण अनुबंध-II पर दिया गया है।

विद्युत मंत्रालय तथा इसके सीपीएसई द्वारा पड़ोसी देशों के साथ किए गए समझौता ज्ञापनों (एमओयू)/समझौतों की सूची

1. भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच विद्युत इंटरकनेक्शन के लिए समझौता
2. भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच ऊर्जा दक्षता में सहयोग के लिए समझौता
3. भारत सरकार और श्रीलंका की लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य सरकार के बीच समझौता
4. भारत सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य सरकार के बीच समझौता
5. भारत सरकार और म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार के बीच समझौता
6. एनएचपीसी लिमिटेड और नेपाल सरकार के निवेश बोर्ड (आईबीएन) के बीच समझौता
7. एनएचपीसी लिमिटेड और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (वीयूसीएल), नेपाल के बीच समझौता
8. एनएचपीसी लिमिटेड और एमआईएस राष्ट्रीय प्रसारण ग्रिड कंपनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल), नेपाल के बीच समझौता
9. एनटीपीसी लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच समझौता
10. एनवीवीएन और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच समझौता
11. नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए), एनवीवीएन और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) के बीच त्रिपक्षीय समझौता
12. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच समझौता
13. डीईईपी सहित पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और विद्युत शक्ति मंत्रालय (डीईपीपी), म्यांमार के बीच समझौता
14. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और श्रीलंका सरकार के बीच समझौता
15. एसजेवीएन लिमिटेड और नेपाल सरकार के बीच समझौता, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व
16. एसजेवीएन लिमिटेड और नेपाल सरकार के निवेश बोर्ड (आईबीएन) के बीच समझौता
17. एसजेवीएन लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)

विद्युत उत्पादन के लिए पड़ोसी देशों के साथ परियोजनाओं का विवरण

देश	क्रम सं	परियोजना का नाम	आई.सी (मेगावाट)
नेपाल	1	पोखरा	1
	2	त्रिशूली	21
	3	पश्चिमी गंडक	15
	4	देवीघाट	14.1
	5	अरुण-3	900
	7	लोअर अरुण	669
	भूटान	8	चुखा
9		कुरिचु	60
10		तला	1020
11		मांगदेछू	720
12		पुनत्संगछु -II	1020
13		पुनत्संगछु-I	1200
बांग्लादेश	14	मैत्री एसटीपीपी	1320

सीमा-पार पारेषण लिंकों के लिए पड़ोसी देशों के साथ परियोजनाओं का विवरण

देश	क्रम सं.	पारेषण लिंक
नेपाल	1	मुजफ्फरपुर (भारत) - धलकेबर (नेपाल) 400 केवी डी/सी लाइन
	2	टनकपुर (भारत) - महेन्द्रनगर (नेपाल) 132 केवी एस/सी लाइन
	3	कटैया (बीएसपीटीसीएल) - कुशहा (नेपाल) 132 केवी लाइन (3 सर्किट - एक और दो सीकेटीएल एसीएसआर पैंथर)
	4	रक्सौल (बीएसपीटीसीएल) - परवानीपुर (नेपाल) लाइन 132 केवी लाइन (2 सर्किट)
	5	रामनगर (बीएसपीटीसीएल) - सूरजपुरा (नेपाल) 132 केवी लाइन (1 सर्किट)
	6	न्यू नौतनवा (उत्तर प्रदेश) - मेनहैया (नेपाल) 132 केवी डी/सी लाइन
	7	सीतामढी (भारत) - धलकेबर (नेपाल) 400 केवी डी/सी (क्वाड मूस) लाइन
	8	नानपारा (भारत) - कोहलपुर (नेपाल) 132 केवी डी/सी लाइन
	9	गोरखपुर - न्यू बुटवल 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइन
	10	दोदोधरा (नेपाल) - बरेली (न्यू) (भारत) 400 केवी (क्वाड) डी/सी लाइन
	11	इनारुवा (नेपाल) - पूर्णिया (न्यू) (भारत) 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइन
	12	चमेलिया (नेपाल) - जौलजीवी (भारत) 220 केवी डी/सी (ट्विन मूस) लिंक
	14	मोतीहारी (भारत) - निजगढ़/हरनैया (नेपाल) 400 केवी डी/सी (क्वाड मूस) लाइन
	14	लखनऊ (भारत) - कोहलपुर (नेपाल) 400 केवी डी/सी (क्वाड मूस) लाइन
	15	मुजफ्फरपुर (भारत) - धलकेबर (नेपाल) 400 केवी डी/सी लाइन एचटीएलएस कंडक्टर के बराबर क्वाड मूस के साथ पुनर्गठन
भूटान	16	ताला एचईपी (भूटान) - सिलीगुड़ी (आईएसटीएस) 400 केवी (3 सर्किट ट्विन मूस)
	17	मालबेस (भूटान) - सिलीगुड़ी (आईएसटीएस) 400 केवी (1 सर्किट ट्विन मूस)
	18	चुखा एचईपी (भूटान) - बीरपारा (आईएसटीएस) 220 केवी डी/सी लाइन
	19	मालबेस (भूटान) - बीरपारा (आईएसटीएस) 220 केवी एस/सी लाइन
	20	गोलेफू (भूटान) - सलाकाटी (आईएसटीएस) 132 केवी एस/सी लाइन
	21	मोटोंगा (भूटान) - रंगिया (एईजीसीएल, असम) 132 केवी एस/सी लाइन
	22	पुनतसांगचू - I एचईपी (भूटान) - अलीपुरद्वार (आईएसटीएस) 400 केवी लाइन
	23	पुनतसांगचू - II एचईपी (भूटान) - अलीपुरद्वार (आईएसटीएस) 400 केवी लाइन
24	जिगमेलिंग (भूटान) - अलीपुरद्वार (आईएसटीएस) 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइन	
बांग्लादेश	25	बहरामपुर (भारत) - भेरामारा (बांग्लादेश) 400 केवी 2डी/सी लाइन (भेरामारा में 2 500 मेगावाट एचवीडीसी बैक-टू-बैक टर्मिनल के साथ)
	26	सूरजमणि नगर (टीपीटीएल, त्रिपुरा) - कोमिला (बांग्लादेश) 400 केवी डी/सी रेडियल इंटरकनेक्शन (132 केवी पर संचालित)
	27	कटिहार (भारत) - पारबोतीपुर (बांग्लादेश) - बोरनगर (भारत) 765 केवी डी/सी लाइन
म्यांमार	28	तामू (म्यांमार) - मोरेह (मणिपुर, भारत)
	29	इंफाल (भारत) - तामू (म्यांमार) 400 केवी डी/सी लाइन, तामू (पहले चरण में) में 500 मेगावाट एचवीडीसी बैक-टू-बैक टर्मिनल के साथ, तामू (म्यांमार) - काले (म्यांमार) 230 केवी डी/सी लाइन के साथ
श्रीलंका	30	नई मदुरै (भारत) और मन्नार (श्रीलंका) 1000 मेगावाट वीएससी एचवीडीसी बाइपोल लाइन

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6313

दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

टीपीपी में प्रदूषण-नियंत्रण प्रणाली का स्थापन

†6313. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन थर्मल पावर प्लांटों (टीपीपी) की संख्या कितनी है, जिनके पास वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध है और इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे टीपीपी की संख्या कितनी है जिनमें उत्सर्जन-नियंत्रण उपकरणों जैसी प्रदूषण-नियंत्रण प्रणालियों का स्थापन किया जाना अभी बाकी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान टीपीपी में प्रदूषण-नियंत्रण अवसंरचना की स्थापना के लिए सरकार द्वारा आवंटित निधियों की कुल राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए जारी और उपयोग की गई निधि की राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में टीपीपी के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क), (ख) और (ङ) : ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत स्थापना की सहमति और/या संचालन की सहमति प्रदान करके टीपीपी को विनियमित किया जाता है।

इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा ऑनलाइन सतत उत्सर्जन एवं अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) के माध्यम से वास्तविक समय में उत्सर्जन की निगरानी भी की जाती है।

(ग) और (घ) : टीपीपी में प्रदूषण नियंत्रण अवसंरचना की स्थापना के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा कोई निधि प्रदान नहीं की जाती है। ऐसी स्थापनाओं का वित्तपोषण संबंधित उत्पादन कंपनियों द्वारा किया जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-6323
दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

हरित ऊर्जा परियोजनाएं

6323. श्री पी. वी. मिथुन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

देश में चल रही, विकास प्रक्रियाधीन या प्रस्तावित कार्बन कैप्चर और उपयोग परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

कार्बन कैप्चर और उपयोग की कई परियोजनाएं वर्तमान में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालनात्मक, विकास के अधीन या प्रस्तावित हैं। विवरण अनुबंध पर हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार कार्बन कैप्चर उपयोग परियोजनाओं (प्रचालनात्मक, निर्माणाधीन, प्रस्तावित) का विवरण

क. प्रचालनात्मक कार्बन कैप्चर और उपयोग परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना	कार्यान्वयन एजेंसी	स्थिति: कमीशन की गई/प्रचालनात्मक
1.	मध्य प्रदेश	एनटीपीसी विंध्याचल, विंध्यानगर, सिंगरौली में फ्लू गैस CO ₂ से मेथनॉल संयंत्र 3,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए)	एनटीपीसी लिमिटेड	कमीशन की गई
2.	तमिलनाडु	तूतीकोरिन (थूथुकुडी) में 60,000 टन प्रति वर्ष CO ₂ कैप्चर सुविधा	मेसर्स तूतीकोरिन अल्काली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	प्रचालनात्मक
3.	महाराष्ट्र	सलाव में डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) यूनिट से प्रतिदिन 500 टन (टीपीडी) CO ₂ का कैप्चर	मेसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील	प्रचालनात्मक

ख. निर्माणाधीन/कार्यान्वयन के अधीन कार्बन कैप्चर और उपयोग परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना	कार्यान्वयन एजेंसी	स्थिति
1.	आंध्र प्रदेश	पुडिमडाका में 3,000 टन प्रति वर्ष फ्लू गैस CO ₂ से इथेनॉल (जनरेशन 4) परियोजना	एनटीपीसी लिमिटेड	कार्यान्वयन के अधीन
2.	आंध्र प्रदेश	पुडिमडाका में 1,800 टन प्रति वर्ष फ्लू गैस CO ₂ से सतत विमानन ईंधन (एसएएफ़) परियोजना	एनटीपीसी लिमिटेड	कार्यान्वयन के अधीन
3.	आंध्र प्रदेश	एचपीसीएल विशाख रिफाइनरी, मलकापुरम, विशाखापत्तनम में 24 किलो टन प्रति वर्ष (केटीपीए सीसीयू) यूनिट	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)	कार्यान्वयन के तहत - यांत्रिक रूप से पूर्ण
4.	तेलंगाना	एनटीपीसी रामागुंडम में कार्बोनेटेड फ्लाई ऐश ब्रिक (सी-ब्रिक) संयंत्र (क्षमता 2 लाख सी-ब्रिक/दिन)	एनटीपीसी लिमिटेड	कार्यान्वयन के अधीन
5.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र के पुणे में हाल ही में प्रदर्शित 1 टीपीडी कोयला-से-मेथनॉल पायलट संयंत्र से CO ₂ कैप्चर करने और उसे मेथनॉल में परिवर्तित करने की स्वदेशी रूप से विकसित एकीकृत तकनीक का विकास और प्रदर्शन।	नॉलेज पार्टनर: आईआईटी दिल्ली इंडस्ट्री पार्टनर: थर्मैक्स लिमिटेड	कमीशन के अधीन
6.	तेलंगाना	हैदराबाद में मध्यम तापमान और दबाव पर कोयले से प्राप्त CO ₂ के हाइड्रोजनीकरण द्वारा डाइमिथाइल-ईथर (डीएमई) के निर्माण के लिए एक स्वदेशी उत्प्रेरक प्रक्रिया विकसित करना।	नॉलेज पार्टनर: सीएसआईआर-आईआईसीटी इंडस्ट्री पार्टनर: बीएचईएल लिमिटेड	कमीशन के अधीन

ग. प्रस्तावित कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना	कार्यान्वयन एजेंसी
1.	असम	असम में अपने प्रचालनात्मक क्षेत्रों में स्थित डिक्कॉम क्षेत्र में ओआईएल के जलाशयों में से एक में कार्बोनेटेड वाटर इंजेक्शन (सीडब्ल्यूआई) की आयोजना बनाई गई है।	ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)
2.	असम	असम के माकुम-नॉर्थ हापजान क्षेत्र में CO ₂ परिवहन और इंजेक्शन सहित CO ₂ ईओआर का व्यवहार्यता अध्ययन	ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)
3.	असम	कठलोनी तेल क्षेत्र में एएमनेबल ईओआर स्कीम की पहचान के साथ मॉडलिंग अध्ययन के माध्यम से कठलोनी एलके + टीएच सैंड (केएलएन001 ब्लॉक) जलाशय का पुनरुद्धार	ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)
4.	असम	नुमालीगढ़ में CO + CO ₂ रिकवरी (270 टीपीडी + 190 टीपीडी)	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)
5.	आंध्र प्रदेश	सीमेंट भट्ठी गैस से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के लिए वैक्यूम स्विंग अधिशोषण प्रक्रिया और निर्माण सामग्री मूल्य श्रृंखला के भीतर इसका उपयोग।	नॉलेज पार्टनर - सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (सीएसआईआर-आईआईपी), देहरादून, आईआईटी तिरुपति तथा आईआईएससी, बेंगलुरु इंडस्ट्री पार्टनर - जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड
6.	गुजरात	गुजरात रिफाइनरी, वडोदरा में 1,500 टीपीडी CO ₂ उन्नत तेल पुनः प्राप्ति (ईओआर)	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) + ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी लिमिटेड)
7.	गुजरात	गुजरात के गांधार क्षेत्र के परिपक्व जल-प्रवाहित जलाशयों में CO ₂ -ईओआर के रूप में सीसीयूएस की व्यवहार्यता पर पहल।	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी लिमिटेड)
8.	मध्य प्रदेश	बीना में 15 टीपीडी CO ₂ से कैल्शियम कार्बोनेट संयंत्र (बीना रिफाइनरी)	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)
9.	हरियाणा	पानीपत में 440 टीपीडी CO ₂ से एसिटिक एसिड (पानीपत रिफाइनरी)	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)
10.	ओडिशा	पारादीप रिफाइनरी में 132 टीपीडी CO ₂ से पॉलीकार्बोनेट	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)
11.	ओडिशा	पारादीप रिफाइनरी में 348 टीपीडी CO ₂ से एसिटिक एसिड	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)
12.	ओडिशा	2 टीपीडी के पैमाने पर जल-आधारित उत्प्रेरक संचालित CO ₂ कैप्चर प्रक्रिया, एक लाइव	नॉलेज पार्टनर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (आईआईटी-बॉम्बे)

		सीमेंट संयंत्र के भीतर एकीकरण के लिए डिज़ाइन की गई है, जो कैप्चर की गई CO ₂ को कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और फॉर्मिक एसिड में परिवर्तित करने में सक्षम बनाती है।	इंडस्ट्री पार्टनर: डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड
13.	ओडिशा	1 टीपीडी के पैमाने पर कार्बन-रहित उपयोग वाली विलायक-आधारित कार्बन कैप्चर तकनीक और आईसीसीएम (एकीकृत कार्बन कैप्चर और खनिजीकरण) तकनीक का उपयोग करके कंक्रीट में खनिज बनाने के लिए कैप्चर की गई CO ₂ का उपयोग करना।	नॉलेज पार्टनर: आईआईटी कानपुर इंडस्ट्री पार्टनर: जेएसडबल्यू सीमेंट
14.	राजस्थान	हल्के कंक्रीट उत्पादों और ओलेफिन में 2 टीपीडी (टन प्रति दिन) CO ₂ को कैप्चर करने के लिए ऑक्सीजन आधारित कैल्सीकरण और इसका उपयोग (0.4 टीपीडी)।	नॉलेज पार्टनर: नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल, बल्लभगढ़ (एनसीसीबीएम) तथा आईआईटी रुड़की इंडस्ट्री पार्टनर: जेके सीमेंट लिमिटेड
15.	राजस्थान	जैसलमेर बेसिन, राजस्थान के खारे जलभृतों / जलाशयों में CO ₂ परिवहन और भंडारण का व्यवहार्यता अध्ययन	ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)
16.	तमिलनाडु	कार्बन प्रभाव को कम करने के लिए सीमेंट उद्योग में अभिनव हस्तक्षेप। ऑक्सीजन-समृद्ध दहन, अधिशोषण / अवशोषण का उपयोग करके कैप्चर, और कंक्रीट ब्लॉक, अपशिष्ट कंक्रीट फाइन और कंक्रीट प्लांट कीचड़ का उपयोग करके कैप्चर की गई CO ₂ (2 टीपीडी) के खनिजीकरण पर आधारित नई भट्ठी जलाने की तकनीक।	नॉलेज पार्टनर - आईआईटी मद्रास तथा बिट्स गोवा इंडस्ट्री पार्टनर - अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6356
दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

एनएचपीसी में काम करने वाले कर्मचारी

†6356. श्री अब्दुल रशीद शेख:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर में एनएचपीसी लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत संविदा (अंशकालिक/नैमित्तिक) कामगारों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) उनकी परिलब्धियों को नियमित करने और उन्हें बेहतर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : दिनांक 1 मार्च, 2026 तक की स्थिति के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या 4,590 है।

(ख) और (ग) : परियोजना से संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए एनएचपीसी लिमिटेड और उसके संयुक्त उद्यमों (जेवी) द्वारा दिए गए संविदाओं के निमित्त विभिन्न ठेकेदारों द्वारा संविदा कर्मचारी नियोजित किए जाते हैं। वर्तमान में, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में एनएचपीसी और उसके जेवी के विभिन्न परियोजना स्थलों पर विभिन्न ठेकेदारों द्वारा लगभग 13,800 श्रमिकों को काम पर रखा गया है।

एनएचपीसी लिमिटेड संविदात्मक प्रावधानों के माध्यम से यह निर्धारित करता है कि ठेकेदारों द्वारा/उनके माध्यम से नियुक्त श्रमिकों को दिया जाने वाला वेतन उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित न्यूनतम वेतन से अधिक हो। वेतन संरचना में ईपीएफ, ईएसआई, बोनस और ग्रेच्युटी जैसे वैधानिक और कल्याणकारी लाभ शामिल हैं। वेतन संरचना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ-साथ मेडिकलेम लाभ भी शामिल हैं। इसके अलावा, संविदा कर्मचारी वेतन सहित छुट्टी, राष्ट्रीय अवकाश और यात्रा-भत्ता, वर्दी तथा पोशाक के हकदार हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6363
दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

उत्तर प्रदेश में आरडीएसएस के अंतर्गत निधियों का आवंटन

6363. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जीर्ण-शीर्ण तारों को बदलने और नए 33/11 केवी उप-केन्द्रों के निर्माण के लिए पुनरुद्धार वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत आवंटित कुल निधियों में से क्षेत्र-वार अंश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के कारण मछलीशहर के ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन अथवा कृषि कार्यकलापों में हानि दर्ज की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जौनपुर जिले में कृषि फीडर पृथक्करण का कार्य पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार मछलीशहर में सौर ऊर्जा से चलने वाले विशेष हरित ऊर्जा उप-केन्द्र की स्थापना करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ग) : भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और वर्तमान में जुलाई 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र योजना जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है।

आरडीएसएस के अंतर्गत, राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर वितरण यूटिलिटी को हानि न्यूनीकरण वाले अवसंरचना कार्यों जैसे नए सब-स्टेशनों की स्थापना, सब-स्टेशनों का उन्नयन, नए वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटी) की स्थापना, कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, नई एचटी/एलटी लाइनें, फीडर

विभाजन, फीडर पृथक्करण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उपर्युक्त कार्यों को जिला-वार स्वीकृत किया गया है और इससे विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा।

स्कीम के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण वाले अवसंरचना कार्यों के लिए 1.53 लाख करोड़ रु की राशि के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जौनपुर जिले के लिए 272.31 करोड़ रु के कार्यों सहित उत्तर प्रदेश के लिए 21,780 करोड़ रु की परियोजना लागत वाले कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जौनपुर के लिए स्वीकृत हानि न्यूनीकरण वाले कार्यों का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

भारत सरकार कुशल भार प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए और कृषि फीडरों के सौरकरण को सक्षम बनाने के लिए 30% से अधिक कृषि भार वाले मिश्रित भार फीडरों, को कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों में विभाजित करने पर विशेष जोर दे रही है। आरडीएसएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, राज्य तथा जौनपुर जिले के लिए स्वीकृत फीडर पृथक्करण कार्यों तथा उनकी प्रगति का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(ख) एवं (घ) : विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और आपूर्ति की गुणवत्ता सहित वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के कारण मछलीशहर के ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन या कृषि गतिविधियों में किसी प्रकार की हानि दर्ज नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्तमान में मछलीशहर में विशेष सौर ऊर्जा संचालित 'ग्रीन एनर्जी सब-स्टेशन' स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के लिए निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

प्रमुख घटक	संस्वीकृत		प्रगति
	मात्रा (सीकेएम में)	कुल लागत (करोड रु में)	मात्रा (सीकेएम में)
अनावृत्त कंडक्टरों को एबी केबलों से बदलना	4168.26	214.60	3,876.74
33 केवी लाइन का संवर्धन/ पुनर्गठन	135.83	8.91	74.84
11 केवी लाइन का संवर्धन/ पुनर्गठन	555.35	17.33	467.85

जौनपुर जिले में कोई नया 33/11 केवी उप-स्टेशन स्वीकृत नहीं किया गया है।

आरडीएसएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में फीडर पृथक्करण कार्यों का विवरण:

क्रम सं.	राज्य/जिला	डीडीयूजीजेवाई/राज्य स्कीम (संख्या) के अंतर्गत पृथक्कृत फीडर	आरडीएसएस (संख्या) के तहत स्वीकृत	कुल पूर्ण (आरडीएसएस + गैर आरडीएसएस) (संख्या)	प्रगति में
1	उत्तर प्रदेश	2,878	1,799	4,083	594
2	जौनपुर	0	1	0	5*

*उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा फीडर पृथक्करण कार्यों के लिए मूल स्वीकृति के भीतर किए गए पुनः आवंटन के अनुसार।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6364
दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

डिस्कॉम के विद्युत नियमों का भुगतान अनुशासन में सुधार पर प्रभाव

6364. श्री मनीष जायसवाल:

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के भुगतान अनुशासन में सुधार लाने पर विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमों का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) इन नियमों के लागू होने के बाद से विद्युत उत्पादन कंपनियों को डिस्कॉम की कुल कितनी बकाया राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने झारखंड में हजारीबाग और रामगढ़ जैसे जिलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता और विद्युत आपूर्ति अवसंरचना की स्थिति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(घ) विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और संपूर्ण विद्युत आपूर्ति शृंखला में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 (एलपीएस नियम) के परिणामस्वरूप, पुराना बकाया जो दिनांक 03.06.2022 को 1,39,947 करोड़ रुपये था दिनांक 27.03.2026 को घटकर 3,330 करोड़ रुपये हो गया है। डिस्कॉम, नियम के तहत नियंत्रण से बचने के लिए अपने वर्तमान बकाया का भी समय पर भुगतान कर रहे हैं।

(ग) और (घ) : विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण, संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के दायरे में है। भारत सरकार, सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से मदद करने

विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। इसमें हजारीबाग और रामगढ़ जैसे जिलों सहित झारखंड राज्य में 11,431 करोड़ रुपये सहित डीडीयूजीजेवाई, एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), और सौभाग्य की पूर्ववर्ती स्कीमों के तहत 1.85 लाख करोड़ रुपये के कार्य शामिल हैं।

वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचलनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत अब तक स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसमें झारखंड राज्य के लिए 4,326 करोड़ रुपये के कार्य शामिल हैं (जिलावार विवरण अनुबंध पर संलग्न हैं)। आरडीएसएस के तहत वित्तीय सहायता, विभिन्न प्रचलनात्मक और वित्तीय मानकों के आधार पर, यूटिलिटी के कार्य-निष्पादन पर निर्भर करती है।

एलपीएस नियमों और आरडीएसएस के अलावा, भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से वितरण यूटिलिटी को उनके प्रचलनात्मक निष्पादन और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने में सहायता कर रही है। कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

- (i) राज्य सरकारों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के बराबर अतिरिक्त ऋण लेने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो वितरण यूटिलिटी के वित्तीय निष्पादन सहित विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधार की शर्त पर है।
- (ii) राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को निर्धारित शर्तों के आधार पर विद्युत वितरण यूटिलिटी के निष्पादन के आधार पर ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
- (iii) ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम तैयार किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागतें शामिल की गई हैं।
- (iv) उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

केंद्र और राज्य सरकारों के बेहतर प्रयासों से, राष्ट्रीय स्तर पर सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04% हो गई हैं और औसत आपूर्ति लागत और औसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर) के बीच का अंतर 0.69 रुपये/किलोवाट घंटा से घटकर 0.06 रुपये/किलोवाट घंटा हो गया है।

आरडीएसएस के अंतर्गत झारखंड में कार्यों की जिलावार संस्वीकृत लागत

जिला	संस्वीकृत लागत (रुपए करोड़ में)
बोकारो	220
चतरा	72
देवघर	218
धनबाद	298
दुमका	78
पूर्वी सिंहभूम	469
गढ़वा	195
गिरिडीह	234
गोड्डा	110
गुमला	141
हजारीबाग	201
जामताड़ा	97
खूंटी	45
कोडरमा	102
लातेहार	78
लोहरदगा	89
पाकुर	82
पलामू	276
रामगढ़	214
रांची	622
साहेबगंज	91
सरायकेला खरसावां	102
सिमडेगा	90
पश्चिमी सिंहभूम	150
उप योग	4,272
पीएमए शुल्क	54
कुल	4,326

*स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6378
दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ
चमड़ा उद्योग का कार्बन फुटप्रिंट

6378. डॉ. सी. एम. रमेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा संरक्षण ढांचे के अंतर्गत अधिसूचित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्रणाली (सीसीटीएस) में भागीदारी हेतु चमड़ा उद्योग की तैयारियों का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो चमड़ा और चर्मशोधन क्षेत्र के अनुमानित कार्बन उत्सर्जन प्रोफाइल सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का चमड़ा प्रसंस्करण इकाइयों को अनिवार्य अथवा स्वैच्छिक कार्बन बाजार तंत्रों के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(घ) चमड़ा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा अनुपालन की सुगमता सुनिश्चित करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्रणाली को अनुकूलित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : चमड़ा क्षेत्र को वर्तमान में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में चमड़ा क्षेत्र को सीटीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चमड़ा क्षेत्र के भीतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित चमड़ा प्रसंस्करण यूनिटें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा निर्धारित पद्धति को अपनाकर सीसीटीएस के ऑफसेट तंत्र के तहत स्वेच्छा से भाग ले सकती हैं। चमड़ा उद्योग अतिरिक्त पद्धतियों का भी प्रस्ताव कर सकता है।

बीईई द्वारा निर्धारित ऑफसेट पद्धतियों की सूची अनुबंध में संलग्न है।

सीसीटीएस के तहत ऑफसेट तंत्र में पद्धतियों की सूची

1. बीएम ईएन01.001 – नवीकरणीय स्रोतों से ग्रिड से जुड़ा विद्युत उत्पादन
2. बीएम ईएन01.002 – पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन उत्पादन
3. बीएम आईएन2.001 औद्योगिक सुविधाओं के लिए ऊर्जा दक्षता और ईंधन स्विचिंग उपाय
4. बीएम आईएन02.002 बायोगैस से निकाले गए मीथेन का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन
5. बीएम डब्ल्यूए03.001 लैंडफिल मीथेन रिकवरी
6. बीएम डब्ल्यूए03.002 लैंडफिल गैस का उपयोग या फ्लेयरिंग
7. बीएम एजी04.001 घरों और छोटे खेतों में पशुधन और खाद प्रबंधन से मीथेन की प्राप्ति
8. बीएम एफआर05.001 विकृत मैंग्रोव आवासों का वनीकरण और पुनर्वनीकरण
9. बीएम एफआर05.002 आर्द्रभूमियों को छोड़कर भूमियों का वनीकरण और पुनर्वनीकरण

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6435
दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत की उच्चतम मांग

6435. श्री लुम्बाराम चौधरी:

श्री दिलीप शङ्कीया:

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री शंकर लालवानी:

श्री प्रवीण पटेल:

श्रीमती कमलेश जांगड़े

श्री दिनेशभाई मकवाणा:

श्री बिभु प्रसाद तराई:

डॉ. संजय जायसवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर हाल के ग्रीष्म ऋतु के दौरान दर्ज की गई उच्चतम मांग के स्तर को ध्यान में रखते हुए हाल ही में देश में बिजली/ऊर्जा की अधिकतम मांग के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी अधिकतम उच्च मांग दर्ज की गई है और बिजली/ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में बिजली/ऊर्जा की मांग में अनुमानित वृद्धि को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने और पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कोई दीर्घकालिक रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : देश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 गीगावाट की अब तक की सर्वाधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। पिछले तीन वित्तीय वर्षों और मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 (फरवरी, 2026 तक) के लिए देश की अधिकतम मांग और ऊर्जा आवश्यकता के हिसाब से 'विद्युत आपूर्ति की स्थिति' का ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है। 'आपूर्ति ऊर्जा और अधिकतम मांग', 'ऊर्जा आवश्यकता और अधिकतम मांग' के अनुरूप है, जिसमें केवल मामूली अंतर है जो आम तौर पर राज्य पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है।

20वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2029-30 के लिए विद्युत की अधिकतम मांग और ऊर्जा की आवश्यकता क्रमशः 345 गीगावाट और 2,388 बीयू रहने का अनुमान है; और वित्त वर्ष 2031-32 के लिए, विद्युत की अधिकतम मांग और ऊर्जा की आवश्यकता क्रमशः 388 गीगावाट और 2703 बीयू रहने का अनुमान है।

भारत सरकार ने देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. उत्पादन और भंडारण आयोजना:

- i. राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित उच्चतम मांग से आगे रहे, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)" तैयार की हैं, जो 10 वर्षीय गतिशील रोलिंग योजनाएं हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत खरीद आयोजना भी शामिल है।
- ii. सभी राज्यों को सलाह दी गई कि वे अपनी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमताएं बनाने/अनुबंधित करने की प्रक्रिया शुरू करें।
- iii. विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है:

(क) दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट की तुलना में वर्ष 2034-35 तक कोयला एवं लिग्नाइट आधारित क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट अनुमानित है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त न्यूनतम 97,000 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की है।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित पहलें भी की गई हैं: -

अप्रैल 2023 से 31.01.2026 तक लगभग 18,160 मेगावाट की ताप क्षमता पहले ही कमीशन की जा चुकी है। इसके अलावा, 38,745 मेगावाट ताप क्षमता (4,845 मेगावाट संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं सहित) वर्तमान में निर्माणाधीन है। 22,920 मेगावाट के अनुबंध अवार्ड किए गए हैं और इनका निर्माण होना बाकी है। इसके अतिरिक्त, 24,020 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो देश में आयोजना के विभिन्न चरणों में है।

(ख) 12,723.50 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएं दिनांक 31.01.2026 तक निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 4,274 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं आयोजना के विभिन्न चरणों में हैं और वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) 6,600 मेगावाट की परमाणु क्षमता दिनांक 31.01.2026 तक निर्माणाधीन है और वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट की परमाणु क्षमता आयोजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) दिनांक 31.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार, 64,670 मेगावाट सौर, 6,490 मेगावाट पवन और 59,990 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 1,54,830 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता

निर्माणाधीन है, जबकि 35,440 मेगावाट सौर और 10,080 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 47,920 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता आयोजना के विभिन्न चरणों में है और वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ड) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, दिनांक 31.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार, 13,120 मेगावाट/78,720 मेगावाट घंटा पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 9,580 मेगावाट/57,480 मेगावाट-घंटा क्षमता वाली पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) को स्वीकृति प्रदान की गई है और इनका निर्माण कार्य शुरू किया जाना है। दिनांक 31.01.2026 तक, 10,658.94 मेगावाट/28,729.32 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) निर्माणाधीन हैं तथा 22,347.15 मेगावाट/69,836.70 मेगावाट घंटा बीईएसएस क्षमता बोली के विभिन्न चरणों में हैं।

2. पारेषण आयोजना: अंतर्राज्यीय और अंतः-राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता वृद्धि के समतुल्य समय सीमा में इसका कार्यान्वयन किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक की दस साल की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1,274 जीवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

उपर्युक्त के अलावा, विद्युत मंत्रालय ने पारेषण लाइनों के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के मुआवजे के भुगतान के संबंध में दिशानिर्देश दिनांकित 14.06.2024, 21.03.2025 और 15.12.2025 जारी किए हैं, जिसमें भूमि दर को प्रचलित बाजार दर से जोड़ा गया है। ये दिशानिर्देश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में अधिक मुआवजे की मांग करने वाले भूस्वामियों से उत्पन्न होने वाली आरओडब्ल्यू की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करते हैं।

3. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना:

- i. दिनांक 30 जून, 2025 तक (जून, 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से छूट में क्रमिक कमी सहित) शुरू होने वाली परियोजनाओं, जून 2028 तक शुरू होने वाली एक ही स्थान पर स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य अर्वाह होने वाली हाईड्रो पीएसपी परियोजनाओं, दिसंबर 2030 तक शुरू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा दिसंबर 2032 तक शुरू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क को 100% माफ किया गया है।
- ii. ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- iii. नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आरईआईए) नियमित रूप से आरई विद्युत की खरीद के लिए बोलियाँ आमंत्रित कर रही हैं।
- iv. स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- v. तीव्र आरई ट्रेजेक्टरी के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।

- vi. नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी हेतु हरित ऊर्जा गलियारा स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई उप-स्टेशन क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान की गई है।
- vii. बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम लागू की जा रही है।
- viii. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत (जनजातीय एवं पीवीटीजी आबादी/गांवों के लिए) नई सौर ऊर्जा योजना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- ix. नवीकरणीय ऊर्जा खपत को प्रोत्साहित करने के लिए, नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रजेक्टरी को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। आरसीओ जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सभी निर्दिष्ट उपभोक्ताओं पर लागू होता है, उसके अनुपालन न करने पर शास्ति लगेगी।
- x. “अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यनीति” जारी की गई है।
- xi. एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा पावर की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम) तथा ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) लॉन्च किए गए हैं।
- xii. सौर पीवी मॉड्यूल के आपूर्ति श्रृंखला के स्थानीयकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम शुरू की गई है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (फरवरी, 2026 तक) के लिए देश की अधिकतम मांग और ऊर्जा आवश्यकता के संदर्भ में 'विद्युत आपूर्ति की स्थिति' का विवरण:

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा				अधिकतम			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा		अधिकतम मांग	अधिकतम आपूर्ति	अनापूर्ति मांग	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5	2,15,888	2,07,231	8,657	4.0
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3	2,43,271	2,39,931	3,340	1.4
2024-25	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1	2,49,856	2,49,854	2	0.0
2025-26 (दिनांक फरवरी, 2026)	15,59,347	15,58,892	454	0.0	2,45,444	2,45,416	28	0.0
